झारखण्ड विधान सभा

अल्प सूचित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा
द्वितीय (बजट) सत्र
वर्ग-02

19 फाल्गुन,1936 (श0)

निम्नलिखित अल्प सूचित प्रश्न, मंगलवार, दिनांक 10 मार्च, 2015 (ई0)

झारखण्ड विधान सभा के आदेश– पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0 सं0	विभागों को संसूचित की गई सां सं0	सदस्य का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
51.	अ0सू0–29	श्री दीपक बिरूवा	बकाया अन्तर वेतन का भुगतान।	विज्ञान एवं प्रावैधिकी	03.03.2015
52.	अ0सू0–22	श्री राधाकृष्ण किशोर	स्नातक स्तरीय तकनीकि संस्थानों की स्थापना।	विज्ञान एवं प्रावैधिकी	01.03.2015
53.	अ0सू0–23	श्रीमती निर्मला देवी	शिक्षकों की नियुक्ति	मानव संसाधन विकास	01.03.2015
54.	अ0सू0–14	श्री रामकुमार पाहन	स्टेडियम का निर्माण।	कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य	26.02.2015
55.	अ0सू0–31	श्री अनन्त कु0 ओझा	सरकारी डिग्री महाविद्यालय की स्थापना।	मानव संसाधन विकास	03.03.2015
56.	अ0सू0–30	श्री राज सिन्हा	बच्चों को सर्वशिक्षा अभियान से जोड़ना	मानव संसाधन विकास	03.03.2015
57.	अ0सू0–26	श्री अरूप चटर्जी	बन्द पड़े उद्योगों का पुनर्द्धार।	उद्योग विभाग	01.03.2015

रांची
दिनांक–10 मार्च,2015 (ई0)

सुशील कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

कृ0पृ0उ0

ज्ञाप संख्या-प्रश्न-04/2015-.....812..../वि0स0,रांची,दिनांक- 09/3/15

प्रतिलिपि :- झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रीगण/माननीय संसदीय कार्य मंत्री/माननीय नेता प्रतिपक्ष, झारखण्ड विधान सभा/मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

9/3/2015

(संजय कुमार)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रांची।

ज्ञाप संख्या-प्रश्न-04/2015-.....812..../वि0स0,रांची,दिनांक- 09/3/15

प्रतिलिपि :- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/निजी सहायक, सचिवीय कार्यालय/अपर सचिव (प्रश्न)/संयुक्त सचिव (प्रश्न) झारखण्ड विधान सभा को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय/प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

9/3/2015

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रांची।

ज्ञाप संख्या-प्रश्न-04/2015-.....812..../वि0स0,रांची,दिनांक- 09/3/15

प्रतिलिपि :- कार्यवाही शाखा/आश्वासन समिति शाखा एवं वेबसाईट शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

9/3/2015

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रांची।

बहादुर/

08/03/15

(51)

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा का द्वितीय (बजट) सत्र में दिनांक 10.03.2015 को श्री दीपक बिरूवा, स0वि0स0 द्वारा पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0 –अ0सू0–29 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि उत्तरवर्ती झारखण्ड राज्य स्थित राजकीय पॉलिटेकनिक में कार्यरत शिक्षकों को पंचम वेतनमान के आधार पर बकाया अन्तर वेतन का भुगतान सुनिश्चित करने हेतु बिहार सरकार, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के पत्रांक–वि0प्रा0(1)व–79/07 -2406 पटना, दिनांक 28.08.2009 द्वारा प्रधान सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को प्रेषित किया गया था,	1. स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि 6 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया है,	2. स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पंचम वेतनमान का बकाया अन्तर वेतन का भुगतान सुनिश्चित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	3. वस्तुत कंडिका–1 में अंकित पत्र द्वारा कुल 69 शिक्षकों का नाम प्राप्त हुआ था, जिसमें से 1979 के पूर्व नियुक्त 31 शिक्षकों के बकाए का भुगतान कर दिया गया है। 1979 के बाद इस राज्य में कार्यरत शिक्षकों की संख्या 45 थी, किन्तु बिहार सरकार द्वारा उक्त सूची में केवल–38 का ही नाम भेजा गया। शेष–7 शिक्षकों के संबंध में बिहार सरकार से बार–बार अनुरोध किये जाने के उपरान्त स्थिति स्पष्ट नहीं किए जाने के कारण वेतन भुगतान का मामला लंबित चला आ रहा है। बिहार सरकार से प्रतिवेदन प्राप्ति के उपरान्त मंत्रिपरिषद के समक्ष मामले को रखकर भुगतान के संबंध में निर्णय लिया जाना है इस हेतु विभागीय संकल्प सं0 748 दिनांक 02.06.05 की कंडिका 6 को आंशिक रूप से संशोधन किया जाना है।

झारखण्ड सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

ज्ञापांक–2.वि0प्रा0/वि0सं0–09/15 – 513 / राँची, दिनांक– 09.03.15

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 659 दिनांक 03.03.2015 के आलोक में 200 प्रतियों के साथ झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(कमलेश्वर प्रसाद सिंह)
सरकार के उप सचिव

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा का द्वितीय (बजट) सत्र में दिनांक 10.03.2015 को श्री राधाकृष्ण किशोर, रा0वि0स0 द्वारा पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0 –अ0सू0–22 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है, कि झारखण्ड राज्य में स्नातक स्तर के मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थानों की कुल संख्या–14 है, जबकि छत्तीसगढ़ में 55 और उत्तराखण्ड में 33 संस्थान स्थापित है,	1. अस्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य में वर्तमान में कुल 21 स्नातक स्तर मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थान है।
2. क्या यह बात सही है कि तकनीकी संस्थानों के अभाव में राज्य के गरीब मेधावी छात्र तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते है,	2. अस्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य में स्नातक स्तरीय तकनीकी संस्थानों की स्थापना के लिए कार्रवाई करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	3. 12वीं पंचवर्षीय योजना अर्न्तगत विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग द्वारा वर्त्तमान में पलामू एवं दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल में स्नातक स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों के स्थापना के संबंध में निर्णय लिया गया है।

झारखण्ड सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

ज्ञापांक–2.वि0प्रा0/वि0सा0–06/15 — 514 / राँची, दिनांक– 09.03.15

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 318 दिनांक 01.03.2015 के आलोक में 200 प्रतियों के साथ झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित

(कमलेश्वर प्रसाद सिंह)
सरकार के उप सचिव

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

श्रीमती निर्मला देवी, स.वि.स. द्वारा प्राप्त अल्प सूचित प्रश्न संख्या अ0सू0-23

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	डॉ0 नीरा यादव, माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि उर्दू टेट पास 815 अभ्यर्थी है, जबकि उर्दू का कुल सीट 4401 है। लेकिन गलत नियमावली के कारण केवल 200 से 300 शिक्षकों की ही बहाली हो पायी है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि कक्षा 1 से 5 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या 807 तथा विभिन्न जिलों में नियुक्त एवं योगदान करने वाले उर्दू शिक्षकों की संख्या 487 है। झारखण्ड प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली, 2012 के प्रावधानों को चुनौती देते हुए माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में कई एक याचिकाएँ दायर की गई है। ऐसी कई याचिकाओं को खारिज करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने नियमावली को नियमसंगत बताया है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार नियमवाली में संशोधन कर 815 शिक्षकों की नियुक्ति करने का विचार रखती है हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उर्दू शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु कार्रवाई की जा रही है।

सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक-.....421..... राँची, दिनांक- 9/3/15

प्रतिलिपिः- उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 319, दिनांक 01.03.2015 के आलोक में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

(51)

श्री रामकुमार पाहन, मा० स०वि०स० द्वारा चलते अधिवेशन में दिनांक 10.03.2016 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं–14 का उत्तर:–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तर दाता
श्री रामकुमार पाहन, माननीय सदस्य विधान सभा	श्री अमर कुमार बाउरी माननीय मंत्री कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राँची जिला के अनगड़ा प्रखण्ड के लूईंग गाँव में सौ एकड़ खाली जमीन है;	स्वीकारात्मक है। उपायुक्त, राँची से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार राँची जिला के अनगड़ा प्रखण्ड के लूईंग गाँव में कुल गैरमजरूआ खास भूमि का कुल रकबा–127.36 एकड़ है, जिसमें कुछ रैयतों के नाम भूमि बन्दोबस्त है एवं अन्य प्लॉट विभिन्न जगहों पर अवस्थित है; साथ ही मौजा लूईंग के खाता सं०–111 के प्लॉट सं०–764, रकबा–9.78 एकड़ तथा रकबा 7.26 एकड़ भूमि जमीन पर्जा–परती दुगची भूमि खाली है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखण्ड में एक भी गेंद न खेलने लायक नहीं है;	स्वीकारात्मक है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त प्रखण्ड के उक्त स्थान पर स्टेडियम का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	राजीव गाँधी खेल अभियान अन्तर्गत स्टेडियम निर्माण योजना हेतु उपायुक्त, राँची से 6 एकड़ भूमि चिन्हित करते हुए प्रस्ताव की माँग की गयी है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्रवाई किया जा सकता है।

झारखण्ड सरकार
कला, संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : 1/वि०स०-6– 03/2015/क 2032 / राँची, दिनांक 21.3.15

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं० 69 दिनांक 26.02.2015 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/3/2015

सरकार के अवर सचिव
कला, संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
झारखण्ड, राँची

(55)

श्री अनन्त कुमार ओझा, स0वि0स0 द्वारा दिनांक-10.03.2015 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या-आ0सू0-31

क्र0	प्रश्न	उत्तर सामग्री
1.	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिलान्तर्गत राजमहल अनुमण्डल बहुत ही पुराना अनुमण्डल है ?	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि राजमहल अनुमण्डल में एक भी सरकारी डिग्री महाविद्यालय की स्थापना अबतक नहीं हो सकी है जिससे सैकड़ों छात्र-छात्राओं का पठन-पाठन बाधित हो रहा है ?	आंशिक स्वीकारात्मक है।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो, क्या सरकार उक्त अनुमण्डल में सरकारी डिग्री महाविद्यालय की स्थापना कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	साहेबगंज जिलान्तर्गत साहेबगंज महाविद्यालय, साहेबगंज, बी0एन0के0 कॉलेज, बरहरवा, बी0एस0ए0 महिला महाविद्यालय, पतना एवं बी0एल0एन0एल0 बोहरा महाविद्यालय, राजमहल में डिग्री स्तर की पढ़ाई होती है। अनुमंडल स्तर पर महाविद्यालय खोलने हेतु विश्वविद्यालय से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं है

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग।

ज्ञापांक 5/वि2-14/2015 430 / रांची दिनांक- 09/03/2015 /

प्रतिलिपि:-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक-661 दिनांक-03.03.2015 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

(80)

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

श्री राज सिन्हा, स.वि.स. से प्राप्त अल्प-सूचित प्रश्न संख्या अ.सू.-30

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	डॉ. नीरा यादव, माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत छः से 14 वर्ष के आयु वर्ग वाले सभी बच्चों को इससे जोड़ना सरकार का नैतिक एवं संवैधानिक दायित्व है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य निर्माण से लेकर अब तक प्रतिवर्ष झारखण्ड के हजारों गरीब बच्चों को विशौलियों के माध्यम से दूसरे राज्यों में जबरन भेजा जाता है, जहाँ उनसे ईंट भट्ठा तथा अन्य कामों में संलग्न किया जाता है;	अस्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार राज्य के सभी छः से चौदह आयु वर्ग के बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ने की दिशा में कारगर कदम उठाने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्य के सभी विद्यालयों का पोषक क्षेत्र निर्धारित किया गया है। प्रत्येक वर्ष शिक्षकों द्वारा बाल गणना की जाती है। बाल गणना के आधार पर पलायन होने वाले परिवारों की सूची भी तैयार की जाती है। इस संबंध में श्रम विभाग से भी समन्वय स्थापित किया गया है। स्थानीय प्राधिकार, विद्यालय प्रबंध समिति एवं आम समुदाय के साथ नियमित संवाद स्थापित किया जा रहा है ताकि जिन क्षेत्रों से बच्चे किसी कार्य हेतु बाहर जा रहे है, उन्हें रोका जा सके तथा कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित योजनाएँ यथा आवासीय विशेष प्रशिक्षण, सिजनल हॉस्टल इत्यादि के माध्यम से उन्हें विद्यालयों से जोड़ा जा सके।

सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक- 423 / रांची, दिनांक- 9/3/15

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 660, दिनांक 03.03.2015 के आलोक में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री अरूप चटर्जी, स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ0रा0–26 का उत्तर सामग्री।

क0	प्रश्न	उत्तर सामग्री
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम के अन्तर्गत कुल 42 कारखाना है जिसमें 36 कारखाना झारखण्ड राज्य में ही है और बंद पड़े हुए हैं	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि उद्योग विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 3142 दिनांक 21.08.2014 से प्राप्त सूचनानुसार बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0 के अन्तर्गत कुल 44 कारखाना है जिसमें 25 कारखाना झारखण्ड राज्य में है। झारखण्ड राज्य में अवस्थित तीन कारखाने कार्यरत रहने की सूचना है।
2	क्या यह बात सही है कि इन बन्द पड़े उद्योगों के पुनरूद्धार से राज्य में रोजगार बढ़ेगा।	स्वीकारात्मक।
3	उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलंब उक्त 36 बन्द पड़े उद्योगों का पुनरूद्धार करने को तैयार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वस्तुस्थिति यह है कि बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम के आस्तियों एवं दायित्वों का बंटवारा बिहार पुनर्गठन अधिनियम–2000 के प्रावधानों के अन्तर्गत दोनों राज्यों के बीच नहीं हो पाया है। बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम के आस्तियों एवं दायित्वों का बंटवारा दोनों राज्यों के बीच होने पर राज्य सरकार झारखण्ड राज्य में स्थापित निगम के उद्योगों के स्थिति की समीक्षा कर अग्रेतर कार्रवाई करेगी।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक 401 /रांची, दिनांक 04.03.15 /
36/उद्योग/वि0प्रश्न (अ0रा0–26) 01/2015

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–322 दिनांक–01.03.2015 के आलोक में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/3/15
सरकार के उप सचिव